



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229396
CG-DL-E-03092021-229396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]
No. 498]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

(आय-कर)

सा.का.नि. 612(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 194त, और 206कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (26 वां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में नियम 26ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"26घ. (1) धारा 194त के अधीन वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दावों की घोषणा और साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना.-(1) धारा 194त के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iii) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित घोषणा निर्दिष्ट बैंक को प्ररूप 12खखक में सम्यक रूप से सत्यापित प्ररूप दस्तावेज में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) प्ररूप संख्या 12खखक में घोषणा प्रस्तुत किए जाने पर विनिर्दिष्ट बैंक, अध्याय 4-क के अधीन अनुज्ञेय कटौती और धारा 87क के अधीन अनुज्ञेय रिबेट कार्यान्वित करने के पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की कुल आय की गणना करेगा तथा प्रवृत्त दर के आधार पर ऐसी कुल आय पर आयकर में कटौती करेगा।

(3) पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अध्याय 4-क के अधीन अनुज्ञेय कटौती को प्रभाव प्रदान किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा और उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अध्याय 4-क के अधीन कटौती दावे के साक्ष्य विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा उचित रूप से रखे जाएंगे और आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त या आयकर मुख्य आयुक्त को जब भी अपेक्षित हों, उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(5) आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो निर्दिष्ट बैंक द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप संख्या 12खखक की विशिष्टियों और उपनियम (3) में निर्दिष्ट साक्ष्यों को आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त या आयकर मुख्य आयुक्त को जब भी अपेक्षित हो प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेंगे।

3. प्रधान नियम के नियम 31 के उपनियम (1) में उपखंड (क) में "धारा 192" शब्दों और अंकों के पश्चात् "और धारा 194त" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. मूलनियम के नियम 31 क में,-

(i) उप-नियम (1) में,

(I) खंड (क) में, "धारा 192" के शब्दों और अंकों के पश्चात् "और धारा 194 त" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(II) खंड (ख) में, "धारा 193 से 196घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "(धारा 194त के अलावा)" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) उपनियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3ख) धारा 194त के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी निर्दिष्ट बैंक अध्याय 4-क के अधीन दावा की गई कटौती के लिए विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, जब भी अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगा।

5. मूलनियम के परिशिष्ट II में,-

(i) प्ररूप संख्या 12खख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप संख्या 12खखक

(नियम 26घ देखिए)

धारा 194त के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उप-खंड (iii) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली घोषणा

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) व्यक्ति का नाम और पता | : |
| (2) पैन या आधार | : |
| (3) पूर्व वर्ष | : |
| (4) जन्म की तारीख | : |
| (5) विनिर्दिष्ट बैंक का नाम | : |

- (6) नियोक्ता का नाम जिससे पेंशन आर्हत की जाती है :
- (7) पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या :

सत्यापन

मैं,का पुत्र/पुत्री.....प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना पूर्ण और सत्य है यह है कि मैं पेंशन की आय के अतिरिक्त मेरी कोई आय नहीं है और/या ब्याज जो ऊपर कथित विनिर्दिष्ट बैंक के खाते या खातों में ही प्राप्त किया गया है या प्राप्त किए जाने योग्य है

तारीख

.....

स्थान

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरानाम:"

(ii) प्ररूप सं.16 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप सं.16

[नियम 31(1)(क) देखिए]

भाग क

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन धारा 192 के अधीन किसी कर्मचारी को संदत्त किए गए वेतन के स्रोत या धारा 194त के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की पेंशन/ब्याज आय पर कटौती प्रमाण-पत्र

प्रमाणपत्र संख्या		अंतिम बार अद्यतन की गई	
कर्मचारी/विनिर्दिष्ट बैंक का नाम और पता		कर्मचारी/वरिष्ठ नागरिक का नाम और पता	
कटौतीकर्ता का पैन	कटौतीकर्ता का टैन	कर्मचारी/ विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का पैन	कर्मचारी द्वारा दी गई संदर्भ संख्या/ पेंशन भुगतान आदेश संख्या (यदि उपलब्ध है)
सीआईटी(टीडीएस) पता शहर..... पिन कोड		निर्धारण वर्ष	कर्मचारी की अवधि
			से
			तक

कर्मचारीके संबंध में संदत्त/जमा की गई रकम और उसके स्रोत पर कर कटौती का संक्षिप्त विवरण				
तिमाही	धारा 200 की उप धारा (3) के अधीन टीडीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्या	संदत्त/ जमा की गई रकम	कर कटौती की रकम (रु.)	जमा/प्रेषित कर की रकम (रु.)
कुल (रु.)				

1. कटौती किए गए और बही समायोजन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर (रु.)	बही पहचान संख्या (बीआईएन)			
		प्ररूप संख्या 24छ की प्राप्ति संख्या	प्ररूप संख्या 24छ में डीडीओ क्रम संख्या	अंतरण वाउचर की तारीख (दिदि/मम/वववव)	प्ररूप संख्या 24छ के साथ मिलान की प्राप्ति
कुल (रु.)					

2. कटौती किए गए और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के बाबत जमा किया गया कर (रु.)	चालान पहचान संख्याक (बीआईएन)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिदि/मम/वववव)	चालान क्रमसंख्या	ओएलटीएस के साथ मिलान की प्राप्ति
कुल (रु.)					

सत्यापन

मैं, पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं किरुपए [केवल.....(शब्दों में)] की राशि की कटौती की गई है और

केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान :

(कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख :

पदनाम :

.पूरा नाम :

[भाग ख (उपाबंध-I)]

धारा 192 . के अधीन कर कटौती के लिए कर्मचारियों के संबंध में

संदत्त वेतन और किसी अन्य आय तथा कर कटौती के ब्यौरे				
क	क्या धारा 115खकग के अधीन कराधान का विकल्प चुना जा रहा है?		[हाँ/नहीं]	
1.	सकल वेतन			
(क)	धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन		रु. ...	
(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार जहाँ भी लागू हो)		रु. ...	
(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12खक, जहाँ भी लागू हो)		रु. ...	
(घ)	कुल			रु. ...
(ङ.)	अन्य कर्मचारी से (कर्मचारियों) प्राप्त वेतन की कुल राशि का विवरण		रु. ...	
2.	घटाए: धारा 10 . के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते			
(क)	धारा 10(5) के अधीन यात्रा रियायत या सहायता		रु. ...	
(ख)	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान		रु. ...	
(ग)	धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का परिवर्तित मूल्य		रु. ...	
(घ)	धारा 10(10कक) के अधीन छुट्टी वेतन नकदीकरण के नकद समतुल्य		रु. ...	
(ङ)	धारा 10(13क) के अधीन आवास किराया भत्ता		रु. ...	
(च)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की रकम			
	खंड ...	रु. ...		
	खंड ...	रु. ...		
	खंड ...	रु. ...		
	खंड ...	रु. ...		
	खंड ...	रु. ...		

	...	रु. ...		
(ज)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की कुल रकम		रु. ...	
(छ)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की कुल रकम [2(क)+2(ख)+2(ग)+2(घ)+2(ङ)+2(छ)]			रु. ...
3.	वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त वेतन की कुल रकम [1(घ) -2 (ज)]			रु. ...
4.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौती			
(क)	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती		रु. ...	
(ख)	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		रु. ...	
(ग)	धारा 16(iii) के अधीन रोजगार पर कर		रु. ...	
5.	धारा 16 के अधीन कटौती की कुल रकम [4(क)+4(ख)+4(ग)]			रु. ...
6.	शीर्ष "वेतन" [(3+1(ङ)-5)के अधीन प्रभार्य आय			रु. ...
7.	जोड़ें: धारा 192 (2ख)के अधीन कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय			
(क)	रिपोर्ट की गई आवासिय संपत्ति से आय (या स्वीकार्य हानि) कर्मचारी द्वारा टीडीएस के लिए प्रस्ताव		रु. ...	
(ख)	टीडीएस के लिए प्रस्तावित अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय		रु. ...	
8.	कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य आय की कुल राशि [7(क)+7(ख)]			रु. ...
9.	सकल कुल आय (6+8)			रु. ...
10.	अध्याय 4-क के अधीन कटौती			
			सकल रकम	कटौती योग्य रकम
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा, प्रीमियम के संबंध मेकटौती,भविष्य निधि आदि में योगदान		रु. ...	रु. ...
(ख)	धारा 80गग के अधीन कतिपय पेंशन निधि के लिए अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ग)	धारा 80गगघ (1)के अधीन पेंशन योजना के लिए करदाता द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(घ)	धारा 80 , 80गग और 80गगघ(1) के अधीनकुल कटौती		रु. ...	रु. ...
(ङ.)	धारा 80गगघ(1ख)के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना संदत्त/जमा की गई रकम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(च)	धारा 80गगगघ(2) के अधीन पेंशन योजना के लिए कर्मचारी द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...

(छ)	धारा 80ड के अधीन उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ज)	धारा 80डके अधीन उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
		कुल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम
(झ)	धारा 80छ के अधीन पूर्ण संस्थाओं को कतिपय निधियों के लिए दान के संबंध में कुल कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ञ)	धारा 80ननक के अधीन बचत खातों में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ट)	धारा 80ड के अधीन उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती			
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ठ)	अध्याय 4-क के किसी अन्य उपबंध (उपबंधों) के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	रु. ...	रु. ...	रु. ...
11.	अध्याय 4क के अधीन कटौती योग्य रकम का योग[10(क)+10(ख)+10(ग)+10(घ)+10(ङ)+10(च)+10(छ)+10(ज)+10(झ))+10(ञ)+10(ट)]			रु. ...
12.	कुल कर योग्य आय (9-11)			रु. ...
13.	कुल आय पर कर			रु. ...
14.	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो			रु. ...
15.	अधिभार, जहां भी लागू हो			रु. ...
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%			रु. ...
17.	संदेय कर (13+15+16-14)			रु. ...
18.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (विवरण संलग्न करें)			रु. ...
19.	संदेय शुद्ध कर (17-18)			रु. ...

सत्यापन

मैं,पुत्र/पुत्री(पदनाम) की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूँ, मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ की उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, टीडीएस विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान :

(कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख :

पदनाम :

पूरा नाम :

उपाबंध II

धारा 194त के अधीन कर कटौती के लिए विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के संबंध में

क	क्या धारा 115खकगके अधीन कराधान का विकल्प चुना जा रहा है?	[हाँ नहीं]		
1.	सकल वेतन			
(क)	धारा 17(1) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पेंशन		रु. ...	
2.	प्राप्त वेतन की कुल रकम			रु. ...
3.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौती			
(क)	धारा 16(िक) के अधीन मानक कटौती		रु.	
(ख)	धारा 16(iii) के अधीन रोजगार पर कर		रु. ...	
4.	धारा 16 के अधीन कटौती की कुल रकम [3(क)+3(ख)]			रु. ...
5.	"वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(2-4)]			रु. ...
6.	विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा संदत्त अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन व्याज आय		रु. ...	
7.	सकल कुल आय (5+6)			रु. ...
8.	अध्याय 4-क . के अधीन कटौती			
		सकल राशि	कटौती योग्य राशि	
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान आदि के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	
(ख)	धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधियों में अंशदान के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	
(ग)	धारा 80गगघ(1) के अधीन पेंशन योजना में करदाता द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	

(घ)	धारा 80ग, 80गग और 80गगघ के अधीन कुल कटौती (1)		रु. ...	रु. ...
(ङ)	धारा 80गगघ(1ख)के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा राशि के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ख)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ड)	धारा 80ङ के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
		सकल राशि	योग्यता राशि	कटौती योग्य राशि
(च)	धारा 80छ के अधीन पूर्त संस्थाओं को कतिपय निधियों के लिएदान के संबंध में कुल कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(छ)	धारा 80ननख के अधीन बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ज)	अध्याय 4-क के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती योग्य राशि			
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(झ)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	रु. ...	रु. ...	रु. ...
9.	अध्याय 4-क [8(क)+8(ख)+8(ग)+8(घ)+8(ङ)+8(च)+8(छ)+8(ज)+ के तहत कटौती योग्य रकम का योग 8(i)]			रु. ...
10.	कुल कर योग्य आय (7-9)			रु. ...
11.	कुल आय पर कर			रु. ...
12.	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो			रु. ...
13.	अधिभार, जहां भी लागू हो			रु. ...
14.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर			रु. ...
15.	संदेय कर (11+13+14-12)			रु. ...
16.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (विवरण संलग्न करें)			रु. ...
17.	संदेय शुद्ध कर (16-17)			रु. ...

सत्यापन

मैं,पुत्र/पुत्री(पदनाम) की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूँ, मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ की उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, टीडीएस विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान..... (कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख..... पूरा नाम :

टिप्पणियाँ:

1. सरकारी कटौतीकर्ता भाग 1 की मद 1 में जानकारी भरें यदि कर चालान को प्रस्तुत किए बिना संदत्त किया जाता है और भाग क की मद 2 में यदि कर को किसी आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है।
2. गैर सरकारी कटौतीकर्ता भाग क की मद 2 में पूर्ण जानकारी भरें।
3. कटौतीकर्ता निर्धारिती के टीडीएस विवरण के संबंध में अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेगा।
4. यदि एक निर्धारिती, वर्ष के दौरान केवल एक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो 31 मार्च 2021 वित्तीय वर्ष को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्ररूप संख्या 16 में प्रमाण पत्र में वित्तीय वर्ष के सभी तिमाहियों के लिए काटे गए और जमा किए गए कर का विवरण होगा।
5. (i) यदि एक निर्धारिती, वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक उस अवधि से संबंधित प्ररूप संख्या 16 में प्रमाण पत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के साथ नियोजित था।
(ii) निर्धारिती के विकल्प पर प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा प्ररूप संख्या 16 में प्रमाण पत्र का भाग ख (उपाबंध-I) जारी किया जा सकता है।
(iii) निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को निर्दिष्ट बैंक द्वारा प्ररूप 16 में प्रमाण पत्र का भाग ख (उपाबंध -II) जारी किया जा सकता है।
6. भाग क के मद I और मद II में, कटौतीकर्ता के संबंध में जमा किए गए कर के स्तंभ में, कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल राशि प्रस्तुत करें।
7. कटौतीकर्ता कर्मचारी को भाग ख (उपाबंध) प्रस्तुत करने से पहले, मद संख्या 2(च) और 10(ट) में जहां उपलब्ध हो, सम्यक रूप से विवरण भरेगा।";
- (iii) प्रपत्र संख्या 24थ के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

टेलीफ़ोन नंबर।

वैकल्पिक टेलीफ़ोन नंबर (टिप्पण 4 देखें)

ईमेल

वैकल्पिक ईमेल (टिप्पण 4 देखें)

3. कर की कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति का विवरण:

(क) नाम

(ख) पता

फ्लैट सं.

परिसर/भवन सड़क/गली/लेन क्षेत्र/स्थान का नाम

टाउन/शहर/जिला राज्य

पिन कोड

टेलीफ़ोन नंबर।

वैकल्पिक टेलीफ़ोन नंबर (टिप्पण 4 देखें)

ईमेल

वैकल्पिक ईमेल (टिप्पण 4 देखें)

मोबाइल नंबर।

4. कर की कटौती और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा के विवरण

क्र. सं.	कर	अधिभार	शिक्षा उपकर	व्याज	फीस (टिप्पण 12 देखें)	शास्ति / अन्य	चालान/समायोजन के अनुसार जमा कुल राशि (302+303+304+305+306+307) (टिप्पण 6 देखें)	चालान (ग) / समायोजन (ख) के माध्यम से टीडीएस जमा करने का रीति समायोजन (टिप्पण 7 देखें)	बीएसआर कोड / प्रपत्र नंबर की रसीद संख्या। 24छ (टिप्पण 8 देखें)	चालान क्रमांक/डीडीओ क्रमांक नं. प्रपत्र 24छ (टिप्पण 8 देखें)	वह तारीख जब चालान के माध्यम से राशि जमा की गई/वाउचर के अंतरण की तारीख माध्यम से जमा (टिप्पण 8 देखें)	चालान का लघु शीर्ष (टिप्पण 9 देखें)
[301]	[302]	[303]	[304]	[305]	[306]	[क30]	[308]	[309]	[310]	[311]	[312]	[313]
1												
2												
3												

5. कर्मचारियों से भुगतान किए गए वेतन और उस पर कर कटौती का विवरण -

(i) सुसंगत तिमाही के व्यौरों वाले प्रत्येक विवरण के साथ उपाबंध I संलग्न करें;

(ii) 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अंतिम विवरण के साथ उपाबंध II संलग्न करें जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष का विवरण हो।

(iii) 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अंतिम विवरण के साथ उपाबंध III संलग्न करें जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष का विवरण हो।

सत्यापन

मैं,....., इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही हैं और पूर्ण।

.....

स्थान :

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पणियाँ:

- कृपया सरकारी कटौतीकर्ता या गैर-सरकारी कटौतीकर्ता का उल्लेख करें।
- केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग के नाम का उल्लेख करें। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य के नाम का उल्लेख करें।
- वैकल्पिक टेलीफोन नंबर और वैकल्पिक ईमेल में, कृपया किसी व्यक्ति का टेलीफोन नंबर और ईमेल प्रस्तुत करें जो कटौतीकर्ता या कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति की अनुपस्थिति में संपर्क किया जा सकता है।

3															
संपूर्ण															

कर्मचारियों से भुगतान किए गए वेतन और उससे काटे गए कर का विवरण

सत्यापन

मैं,....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान :

.....

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति के हस्ताक्षर

.....

तारीख :

.....

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति का नाम और पदनाम

.....

टिप्पणियाँ :

1. "क" लिखें यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन कम दर पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसे मामलों में कर्मचारी का पैना अनिवार्य है।
2. यदि धारा 197 के अधीन कर की कटौती न करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है तो "ख" लिखें। ऐसे मामलों में कर्मचारी का पैना अनिवार्य है।
3. यदि कटौतीकर्ता द्वारा पैना प्रस्तुत न करने के कारण उच्च दर पर कटौती की जा रही है तो "ग" लिखें।
4. धारा कोड की सूची इस प्रकार है:

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192	संघ सरकार के कर्मचारियों से भिन्न सरकारी कर्मचारियों को भुगतान	क92
192	सरकारी कर्मचारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों को भुगतान	ख92
192	भारत सरकार के कर्मचारियों को भुगतान	ग92
त194	निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को भुगतान	त94

उपाबंध II

वित्तीय वर्ष..... के दौरान संदत्त या जमा वेतन का विवरण और देय शुद्ध कर (धारा 192 के अधीन)

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

कुल कराधेय आय (355-379).	कुल आय पर आयकर	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो	अधिभार जहां कहीं लागू हो	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जहां वेतन आदि बकाया या अग्रिम के रूप में संदत्त किया जाता है	कुल कर दायित्व [381+383+384-(382+385)].	सम्पूर्ण वर्ष के लिए वर्तमान नियोजक द्वारा स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग]	अन्य नियोजक (कों) या कटौतीकर्ता (ओं) द्वारा स्रोत पर कर कटौती की रिपोर्ट की गई रकम (स्तंभ 339 में कुल कराधेय आय की संगणना में, जिसके संबंध में आय)	सम्पूर्ण वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम (387+388).	कर कटौती में कमी (+) या आधिक्य कर कटौती (-) (386-389).
(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)

टिप्पणः

1. वेतन के अन्तर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपदान (धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न), फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) के अधीन जमा रकम का पुनः संदाय, परिलब्धियां, किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त लाभ जिसके अन्तर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में किए गए संदाय भी हैं, वेतन का अग्रिम, उपयोग नहीं की गई किसी अवधि की छूटी के संबंध में प्राप्त कोई संदाय (धारा 10 (10कक) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसार कर से प्रभार्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में खाते के बकाया में कोई वार्षिक अभिवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (4) के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय समझी गई कोई राशियां, धारा 80गघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या 'वेतन' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य कोई अन्य राशियां
2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त उपलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को उस कर्मचारी के कोई अभिदाय उसके निमित्त संदत्त करता है, ऐसी सभी कटौतियां या संदाय विवरण में सम्मिलित होंगे।
3. भू-स्वामी का स्थायी लेखा संख्याक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है।
4. उधार देने वाले का स्थायी लेखा संख्याक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां गृह ऋण, जिसपर व्याज संदत्त किया जाता है, वित्तीय संस्था या नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति से लिया जाता है।

[illegible]

अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य रकम				अध्याय 6-क के अधीन कटौती योग्य रकम का योग	कुल कराधेय आय	कुल आय पर कर	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो	अधिभार, जहाँ कहीं लागू हो	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	संदेय कर	धारा 89 के अधीन अनुतोष	कुल संदेय कर
धारा कोड (टिप्पण 1 देखें)	कुल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम									
(422)	(423)	(424)	(425)	(426) = (409) + (411) + (413) + (415) + (418) + (421) + (425)	(427) = (402) - (426)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432) = (428) + (430) + (431) - (429)	(433)	(434)

टिप्पण:

1. धारा कोड:

क्र. सं.	धारा	विशिष्टियां	धारा कोड
1	80घघ	अनुरक्षण के संबंध में कटौती जिसके अन्तर्गत आश्रित का चिकित्सा उपचार भी है, जो दिव्यांग व्यक्ति है	घघ
2	80डड	आवासीय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती	डड
3	80डडक	कतिपय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80डड के अन्तर्गत नहीं आने वाली)	डडक
4	80छछ	संदत्त किरायों के संबंध में कटौती	छछ
5	80छछग	राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अभिदायों के संबंध में कटौती	छछग
6	80प	दिव्यांग व्यक्ति के मामले में कटौती	त 1”;

(iv) प्ररूप सं. 26थख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 194अख के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

[illegible]

[illegible]

किराए पर दी गई संपत्ति का पूर्ण पता															पिन																	
किराएदारी की अवधि***												संदत्त किराए का कुल मूल्य (रकम रु. में)						पिछले मास में संदत्त किराए का मूल्य (रकम रु. में)														
क्या धारा 206कख के अनुसार स्रोत पर कर की कटौतीउच्चतर दर पर की जाती है (हां. /नहीं)																																
संदत्त/जमा की गई रकम(रु. में)					संदाय/जमा की तारीख**					दर जिसपर कटौती की गई (टिप्पणदेखिए 1)					स्रोत पर कर कटौती की रकम					कटौती की तारीख**												
जमा की तारीख**																																
												संदाय का ढंग					समकालिक ई-कर संदाय															

- * स्वतः ही अध्ययन किया जाए।
- ** तारीख/मास/वर्ष रूप में।
- ** * किराएदारी की अवधि के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए किराए पर दी गई संपत्ति के मासों की संख्या उल्लिखित की जा सकेगी।

टिप्पण

1. धारा 206कख के उपबंधों के मामले में कर की कटौती उच्चतर दरों पर की जाए।”;

(vi) प्ररूप सं. 26थघ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

प्ररूप सं.26थघ

[धारा 194ड, नियम 30(2ग), नियम 30(6ग) और नियम 31क(4ग) देखिए]

धारा 194ड के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष	-	मुख्य शीर्ष कोड*गौण शीर्ष कोड*	
कटौतीकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक			
कटौतीकर्ता का पूर्ण नाम			
कटौतीकर्ता का पूर्ण पता			
			पिन
मोबाइल संख्या		ईमेल आईडी-	
कटौती करवाने वाले का स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक			
स्थायी लेखा संख्यांक का प्रवर्ग*		स्थायी लेखा संख्यांक की प्रास्थिति*	
कटौती करवाने वाले का पूर्ण नाम			
कटौती करवाने वाले का पूर्ण पता			

			पिन	
मोबाइल संख्या		ईमेल आईडी-		
संदाय की प्रकृति (वृत्तिक सेवाओं के लिए संविदा/कमीशन/ब्रोकेज के अनुसरण में कार्य)				
संविदा/करार की तारीख**		1 अप्रैल से उस मास के अंत तक जिसमें संदाय किया/जमा किया गया है, संदायों/जमा का योग		
क्या यह धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे कटौती न करने/कम कटौती करने का मामला है (कृपया हां/नहीं पर निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	कटौती न करने या कम कटौती करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी धारा के अधीन प्रमाणपत्र की 197 संख्या		
क्या धारा 206कख के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती उच्चतर दर पर की जाती है (हां. /नहीं)				
संदत्त/जमा की गई रकम (रु.में)	संदाय/जमा की तारीख**	दर जिसर कटौती की गई (टिप्पण 1 देखिए)	स्रोत पर कर कटौती की रकम	कटौती की तारीख**
मोबाइल संख्या				
जमा की तारीख**		संदाय का ढंग	समकालिक ईकर संदाय-	
		पश्चात्कर्ती तारीख को ईकर संदाय-		
स्रोत पर कर की कटौती के संदाय के ब्यौरे (रकम रुपए में)				
* टीडीएस (आय-कर)(इस रकम के लिए कर का प्रत्यय कटौती करवाने वाले को दिया जाएगा) * ब्याज * फीस * कुल संदाय * कुल संदाय शब्दों में (रु मे .)				

करोड़	लाख	हजार	सौ	दस	ईकाईयां

स्वतः ही अध्ययन किया जाए।

** तारीख/मास/वर्ष रूप में।

टिप्पण

1. धारा 206कख के उपबंधों के मामले में कर की कटौती उच्चतर दरों पर की जाए।”;

[अधिसूचना सं.99/2021/फा.सं. 370142/11/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 604(अ), तारीख 31.08.2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2021

(INCOME-TAX)

G.S.R. 612(E).—In exercise of the powers conferred by sections 194P and 206AB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Income-tax (26th Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 26C, the following rule shall be inserted, namely:-

“26D. Furnishing of declaration and evidence of claims by specified senior citizen under section 194P.-(1) The declaration required to be furnished by the specified senior citizen to the specified bank under sub-clause (iii) of clause (b) of explanation to section 194P shall be in Form no. 12BBA to be furnished in paper form duly verified.

(2) On furnishing of the declaration in Form No. 12BBA, the specified bank shall, after giving effect to the deduction allowable under Chapter VI-A and rebate allowable under section 87A, compute the total income of such specified senior citizen for the relevant assessment year and deduct income-tax on such total income on the basis of the rates in force.

(3) The effect to the deduction allowable under Chapter VI-A shall be given based on the evidence furnished by the specified senior citizen during the previous year.

(4) The declaration referred to in sub-rule (1) and evidence for claiming deduction under Chapter VI-A referred to in sub-rule (3) shall be properly maintained by the Specified Bank and shall be made available to the Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax, as and when required.

(5) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify procedure for furnishing of particulars of Form No. 12BBA referred to in sub-rule (1) and evidence referred to in sub-rule (3) by the specified banks to the Principal Chief Commissioner of Income-tax or Chief Commissioner of Income-tax, as and when required.”.
3. In the principal rules, in rule 31, in sub-rule (1), in clause (a), after the word and figures “section 192”, the words, figures and letter “and section 194P” shall be inserted.
4. In the principal rules, in rule 31A,-
 - (i) in sub-rule (1), -
 - (I) in clause (a), after the word and figures “section 192”, the words, figures and letter “and section 194P” shall be inserted;
 - (II) in clause (b), after the words, figures and letter “section 193 to 196D”, the brackets, words, figures and letter “(other than section 194P)” shall be inserted;
 - (ii) after sub-rule (3A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3B) Specified bank responsible for deduction of tax under section 194P shall furnish evidence produced by the specified senior citizen for claiming deduction under chapter VI-A to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) or to any other person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as and when required.”.
5. In the principal rules, in Appendix II,-
 - (i) after Form No.12BB, the following Form shall be inserted, namely:-

“Form no. 12BBA**(see rule 26D)****Declaration to be furnished by Specified Senior Citizen under sub-clause (iii) of clause (b) of Explanation to section 194P**

- (1) Name and address of the person :
 (2) PAN or Aadhaar :
 (3) Previous Year :
 (4) Date of Birth :
 (5) Name of the Specified Bank :
 (6) Name of Employer from which pension is drawn :
 (7) Pension Payment Order (PPO) Number :

Verification

I, son/daughter of do hereby certify that the information given above is complete and correct and that I do not have any income other than the income of the nature of pension and/or interest which is received or receivable only in the account(s) of the specified bank stated above

Date

.....

Place

(Signature of person)

Full Name: ”;

(ii) For Form No. 16, the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM NO. 16

[See rule 31(1)(a)]

PART A

Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source on salary paid to an employee under section 192 or pension/interest income of specified senior citizen under section 194P

Certificate No.		Last updated on	
Name and address of the Employer/Specified Bank		Name and address of the Employee/ Specified senior citizen	
PAN of Deductor	TAN of the Deductor	PAN of the Employee/ specified senior citizen	Employee Reference No./ Pension Payment order no. provided by the Employer (If available)
CIT (TDS) Address..... 		Assessment Year	Period with the Employer
			From
		To	

City.....				
Pin code.....				
Summary of amount paid/credited and tax deducted at source thereon in respect of the employee				
Quarter(s)	Receipt Numbers of original quarterly statement of TDS under sub section (3) of Section 200	Amount paid/credited	Amount of tax deducted (Rs.)	Amount of tax deposited/ remitted (Rs.)
Total (Rs.)				

I. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL

GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ADJUSTMENT (the deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)

Sl. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.)	Book Identification Number (BIN)			
		Receipt numbers of Form No. 24G	DDO serial number in Form No. 24G	Date of transfer voucher dd/mm/yyyy	Status of matching with Form No. 24G
Total (Rs.)					

II. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN

(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)

Sl. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.)	Challan Identification Number (CIN)			
		BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number	Status of matching with OLTAS
TOTAL (Rs.)					

Verification

I,.....,son/daughter of working in the capacity of(designation) do hereby certify that a sum of Rs.....[Rs.....(in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records.

Place.....

(Signature of person responsible for deduction of tax)

Date.....

Designation:.....

Full Name:

PART B (Annexure-I)

In relation to employees for tax deduction under section 192

Details of Salary Paid and any other income and tax deducted				
A	Whether opting for taxation u/s 115BAC?	[YES/NO]		
1.	Gross Salary			
(a)	Salary as per provisions contained in section 17(1)		Rs. ...	
(b)	Value of perquisites under section 17(2) (as per Form No. 12BA, wherever applicable)		Rs. ...	
(c)	Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No. 12BA, wherever applicable)		Rs. ...	
(d)	Total			Rs. ...
(e)	Reported total amount of salary received from other employer (s)		Rs. ...	
2.	Less: Allowances to the extent exempt under section 10			
(a)	Travel concession or assistance under section 10(5)		Rs. ...	
(b)	Death-cum-retirement gratuity under section 10(10)		Rs. ...	
(c)	Commuted value of pension under section 10(10A)		Rs. ...	
(d)	Cash equivalent of leave salary encashment under section 10(10AA)		Rs. ...	
(e)	House rent allowance under section 10(13A)		Rs. ...	

(f)	Amount of any other exemption under section 10			
	clause ...	Rs. ...		
	clause ...	Rs. ...		
	clause ...	Rs. ...		
	clause ...	Rs. ...		
	clause ...	Rs. ...		
	...	Rs. ...		
(g)	Total amount of any other exemption under section 10		Rs. ...	
(h)	Total amount of exemption claimed under section 10			Rs. ...
	[2(a)+2(b)+2(c)+2(d)+2(e)+2(g)]			
3.	Total amount of salary received from current employer			Rs. ...
	[1(d)-2(h)]			
4.	Less: Deductions under section 16			
(a)	Standard deduction under section 16(ia)		Rs. ...	
(b)	Entertainment allowance under section 16(ii)		Rs. ...	
(c)	Tax on employment under section 16(iii)		Rs. ...	
5.	Total amount of deductions under section 16			Rs. ...
	[4(a)+4(b)+4(c)]			
6.	Income chargeable under the head "Salaries" [(3+1(e)-5]			Rs. ...
7.	Add: Any other income reported by the employee under as per section 192 (2B)			
(a)	Income (or admissible loss) from house property reported		Rs. ...	
	by employee offered for TDS			

(b)	Income under the head Other Sources offered for TDS		Rs. ...	
8.	Total amount of other income reported by the employee[7(a)+7(b)]			Rs. ...
9.	Gross total income (6+8)			Rs. ...
10.	Deductions under Chapter VI-A			
			Gross Amount	Deductible Amount
(a)	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C		Rs. ...	Rs. ...
(b)	Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC		Rs. ...	Rs. ...
(c)	Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme under section 80CCD (1)		Rs. ...	Rs. ...
(d)	Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD(1)		Rs. ...	Rs. ...

(e)	Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 80CCD (1B)		Rs. ...	Rs. ...
(f)	Deduction in respect of contribution by Employer to pension scheme under section 80CCCD (2)		Rs. ...	Rs. ...
(g)	Deduction in respect of health insurance premia under section 80D		Rs. ...	Rs. ...
(h)	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E		Rs. ...	Rs. ...
		Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount
(i)	Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(j)	Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTA	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(k)	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A			
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(l)	Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
11.	Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A [10(a) +10(b) +10(c)+ 10(d)+ 10(e)+ 10(f)+ 10(g)+ 10(h)+ 10(i) + 10(j)+10(l)]			Rs. ...
12.	Total taxable income (9-11)			Rs. ...
13.	Tax on total income			Rs. ...
14.	Rebate under section 87A, if applicable			Rs. ...
15.	Surcharge, wherever applicable			Rs. ...
16.	Health and education cess @ 4%			Rs. ...

17.	Tax payable (13+15+16-14)			Rs. ...
18.	Less: Relief under section 89 (attach details)			Rs. ...
19.	Net tax payable (17-18)			Rs. ...

Verification

I,, son/daughter ofworking in the capacity of (designation) do hereby certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, and other available records.

Place.....

(Signature of person responsible for deduction of tax)

Date.....

Full Name :

Annexure II

In relation to specified senior citizen for tax deduction under section 194P

A	Whether opting for taxation u/s 115BAC?	[YES/NO]		
1.	Gross Salary			
(a)	Pension as per provisions contained in clause (ii) of section 17(1)		Rs. ...	
2.	Total amount of salary received			Rs. ...
3.	Less: Deductions under section 16			
(a)	Standard deduction under section 16(i)		Rs. ...	
(b)	Tax on employment under section 16(iii)		Rs. ...	
4.	Total amount of deductions under section 16 [3(a)+3(b)]			Rs. ...
5.	Income chargeable under the head "Salaries" [(2-4)]			Rs. ...
6.	Interest Income under the head Other Sources paid by the specified bank		Rs. ...	
7.	Gross total income (5+6)			Rs. ...
8.	Deductions under Chapter VI-A			
			Gross Amount	Deductible Amount
(a)	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C		Rs. ...	Rs. ...
(b)	Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC		Rs. ...	Rs. ...
(c)	Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme under section 80CCD(1)		Rs. ...	Rs. ...

(d)	Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD (1)		Rs. ...	Rs. ...
(e)	Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 80CCD (1B)		Rs. ...	Rs. ...
(b)	Deduction in respect of health insurance premia under section 80D		Rs. ...	Rs. ...
(e)	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E		Rs. ...	Rs. ...
		Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount
(f)	Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(g)	Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTB	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(h)	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A			
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	section ...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
	...	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
(i)	Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A	Rs. ...	Rs. ...	Rs. ...
9.	Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A [8(a)+8(b)+8(c)+8(d)+8(e)+8(f)+8(g)+8(h)+8(i)]			Rs. ...
10.	Total taxable income (7-9)			Rs. ...
11.	Tax on total income			Rs. ...
12.	Rebate under section 87A, if applicable			Rs. ...
13.	Surcharge, wherever applicable			Rs. ...
14.	Health and education cess			Rs. ...
15.	Tax payable (11+13+14-12)			Rs. ...
16.	Less: Relief under section 89 (attach details)			Rs. ...
17.	Net tax payable (16-17)			Rs. ...

Verification

I,, son/daughter ofworking in the capacity of (designation) do hereby certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, and other available records.	
Place.....	(Signature of person responsible for deduction of tax)
Date.....	Full Name :

Notes:

1. Government deductors to fill information in item I of Part A if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II of Part A if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
2. Non-Government deductors to fill information in item II of Part A.
3. The deductor shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TDS statements of the assessee.
4. If an assessee is employed under one employer only during the year, certificate in Form No. 16 issued for the quarter ending on 31st March 2021 of the financial year shall contain the details of tax deducted and deposited for all the quarters of the financial year.
5. (i) If an assessee is employed under more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A of the certificate in Form No. 16 pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employers.
(ii) Part B (Annexure-I) of the certificate in Form No.16 may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.
(iii) Part B (Annexure-II) of the certificate in Form 16 may be issued by the specified bank to a specified senior citizen.
6. In Part A, in items I and II, in the column for tax deposited in respect of deductee, furnish total amount of tax, surcharge and health and education cess.
7. Deductor shall duly fill details, where available, in item numbers 2(f) and 10(k) before furnishing of Part B (Annexure) to the employee.”;
- (iii) for Form No. 24Q, the following Form shall be substituted, namely:-

FORM NO. 24Q

[See section 192, 194P and rule 31A]

Quarterly statement of deduction of tax under sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act in respect of salary paid to employee under section 192, or income of specified senior citizen under section 194P, for the quarter ended (June/September/December/March) (Financial Year)

1. (a) Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	<input type="text"/>	(d) Has the statement been filed earlier for this quarter (Yes/No)	<input type="text"/>
(b) Permanent Account Number (PAN) [See Note 1]	<input type="text"/>	(e) If answer to (d) is "Yes", then token No. of original statement	<input type="text"/>
(c) Financial Year	<input type="text"/>	(f) Type of Deductor [See Note 2]	<input type="text"/>

2. Particulars of the Deductor (employer)	
(a) Name of the employer	<input type="text"/>
(b) If Central/State Government	<input type="text"/>
Name (See Note 3)	<input type="text"/>
AIN Code of PAO/TO/CDDO	<input type="text"/>

(c) TAN Registration No.	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------

(d) Address	<input type="text"/>
Flat No..	<input type="text"/>
Name of the premises/building	<input type="text"/>
Road/Street/Lane Area/Location	<input type="text"/>
Town/City/District State	<input type="text"/>
PIN Code	<input type="text"/>
Telephone No.	<input type="text"/>
Alternate telephone No. (See Note 4)	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Alternate email (See Note 4)	<input type="text"/>

3. Particulars of the person responsible for deduction of tax: (a) Name	<input type="text"/>
(b) Address	<input type="text"/>
Flat No.	<input type="text"/>
Name of the premises/building	<input type="text"/>
Road/Street/Lane Area/Location	<input type="text"/>

Town/City/ District / State	
PIN Code	
Telephone No.	
Alternate telephone No. (See Note 4)	
Email	
Alternate email (See Note 4)	
Mobile No.	

4. Details of tax deducted and paid to the credit of the Central Government:

Sl. No.	Tax	Surcharge	Education Cess	Interest	Fee (See Note 12)	Penalty/Others	Total amount deposited as per challan/ Book Adjustment (302+303+304+305+306+307) (see note 6)	Mode of TDS deposit through Challan (C) /Book Adjustment (B) (See Note 7)	BSR Code/receipt number of form no. 24G (See note 8)	Challan Serial No./DDO Serial no. of Form 24G (See Note 8)	Date on which amount deposited through challan/ Date of transfer voucher (SeeNote8)	Minor Head of Challan (See Note 9)
[301]	[302]	[303]	[304]	[305]	[306]	[30A]	[308]	[309]	[310]	[311]	[312]	[313]
1												
2												
3												

5. Details of salary paid and tax deducted thereon from the employees-

- (i) enclose Annexure I along with each statement having details of the relevant quarter;
- (ii) enclose Annexure II along with the last statement, i.e., for the quarter ending 31st March having details for the whole financial year.
- (iii) enclose Annexure III along with the last statement, i.e., for the quarter ending 31st March having details for the whole financial year.

Verification

I,, hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

.....

Place:

Date:

Notes:

Signature of the person responsible for deducting tax at source

Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

1. It is mandatory for non-Government deductors to quote PAN. In case of Government deductors, "PANNOTREQD" should be mentioned.
2. Please indicate Government deductor or non-Government deductor.
3. In case of Central Government, please mention name of Ministry/Department. In case of State Government, please mention name of the State.
4. In alternate telephone number and alternate email, please furnish the telephone number and email of a person who can be contacted in the absence of deductor or person responsible for deduction of tax.
5. Fee paid under section 234E for late filling of TDS statement to be mentioned in separate column of Fee (column 306)
6. In column 308, Government DDOs to mention the amount of TDS remitted by the PAO/TO/CDDO. Other deductors to write the exact amount of TDS deposited through challan.
7. In column 309, Government deductors to write "B" where TDS is remitted to the credit of Central Government through book adjustment. Other deductors to write "C".
8. Challan/Transfer Voucher (CIN/BIN) particulars, i.e. 310, 311, 312 should be exactly the same as available at Tax Information Network.
9. In column 313, mention minor head as marked on the challan.

ANNEXURE - I: DEDUCTEE WISE BREAK UP OF TDS

(Please use separate Annexure for each line – item in the table at Sl. No. 04 of main Form 24Q)

Details of salary paid and tax deducted therefrom from the employees

BSR Code of branch/Receipt Number of Form no. 24G			<table><tr><td>Name of the Employer</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TAN</td><td></td><td></td></tr></table>	Name of the Employer			TAN		
Name of the Employer									
TAN									
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)									
Challan Serial Number/DDO Serial No. of Form 24G									
Amount as per Challan									
Total TDS to be allocated among deductees as in the vertical total of col. 326									
Total Interest to be allocated among deductees below									

[illegible]

Verification

I, , hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

place: Signature of the person responsible for deducting tax at source
 Date: Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

- 1 Write "A" if certificate has been given by the Assessing Officer for deduction of tax at lower rate under section 197. PAN of employee is mandatory in such cases.
- 2 Write "B" if certificate has been given by the Assessing Officer for no deduction of tax under section 197. PAN of employee is mandatory in such cases.
- 3 Write "C" if deduction is on higher rate on account of non-furnishing of PAN by the deductee.
- 4 List of section codes is asunder:

Section	Nature of Payment	Section Code
192	Payment to Government employees other than Union Government employees	92A
192	Payment to employees other than Government employees	92B
192	Payment to Indian Government employees	92C
194P	Payment to Specified Senior Citizen	94P

Annexure II

Details of salary paid or credited during the financial yearand net tax payable (under section 192)

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Total taxable income (355-379).	Income-tax on total income.	Rebate under section 87A, if applicable.	Surcharge, wherever applicable.	Health and education cess.	Income-tax relief under section 89, when salary, etc. is paid in arrear or advance.	Net tax liability [381+383+384-(382+385)].	Total amount of tax deducted at source by the current employer for the whole year [aggregate of the amount in columns 325 of Annexure I for all the quarters in respect of each employee].	Reported amount of tax deducted at source by other employer(s) or deductor(s) (income in respect of which included in computing total taxable income in column 339).	Total amount of tax deducted at source for the whole year (387+388).	Shortfall in tax deduction (+) or excess tax deduction (-) (386-389).
(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)

Notes:

1. Salary includes wages, annuity, pension, gratuity (other than exempted under section 10(10)), fees, commission, bonus, repayment of amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), perquisites, profits in lieu of or in addition to any salary or wages including payments made at or in connection with termination of employment, advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed (other than exempted under section 10 (10AA)), any annual accretion to the balance of the account in a recognised provident fund chargeable to tax in accordance with rule 6 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any sums deemed to be income received by the employee in accordance with sub-rule (4) of rule 11 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any contribution made by the Central Government to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80CCD or any other sums chargeable to income-tax under the head 'Salaries'.
2. Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the statement.
3. Permanent Account Number of landlord shall be mandatorily furnished where the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees.
4. Permanent Account Number of lender shall be mandatorily furnished where the housing loan, on which interest is paid, is taken from a person other than a Financial Institution or the Employer.

Annexure III

Details of pension and interest income paid or credited during the financial year.....and net tax payable (under section 194P)

Sl. No.	Permanent Account Number/ Aadhaar of the Specified Senior Citizen	Name of the Specified Senior Citizen	Deductee type (senior citizen/ super senior citizen)	Whether opting for taxation u/s 115BAC [Yes/No]	Gross Pension as per provisions contained in clause (ii) section 17(1).	Deduction under section 16			Income under the head 'Salaries'	Interest Income under the other sources paid by the specified bank	Gross Total Income
						Standard deduction u/s 16(ia)	Tax on employment (16(iii))	Total			
(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399) = (397) + (398)	(400) = (396) - (398)	(401)	(402) = (400) + (401)

Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. u/s 80C		Deduction in respect of contribution to certain pension funds u/s 80CCC		Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme u/s 80CCD(1)		Total Deduction u/s 80C, 80CCC and 80CCD(1) [does not exceed Rs. 1,50,000]	Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme u/s 80CCD (1B)		Deduction in respect of health insurance premia u/s 80D		Deduction in respect of loan taken for higher education u/s 80E		Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. u/s 80G			Deduction in respect of interest on deposits in savings account u/s 80TTB		
													Gross amount	Qualifying amount	Deductible amount	Gross amount	Qualifying amount	Deductible amount
													Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Deductible amount	Gross amount	Deductible amount
(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)
Amount deductible under any other provision of Chapter VI-A				Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A			Total Taxable income	Tax on total income	Rebate under section 87A, if applicable	Surcharge, wherever applicable	Health and Education cess	Tax payable	Relief under section 89	Net tax payable				
Section code (see note 1)	Gross amount	Qualifying amount	Deductible amount															
(422)	(423)	(424)	(425)	(426) = (409)			(427) =	(428)	(429)	(430)	(431)	(432) = (428)	(433)	(434)				

2. Section codes:

(iv) for Form No. 26QB, the following Form shall be substituted, namely:-

Challan –cum – statement of deduction of tax under section 194-IA

[illegible]

															PIN																			
Mobile No.										Email ID																								
Whether more than one transferee/payer/buyer (Yes/No)																																		
Permanent Account Number or Aadhaar Number of Transferor/ Payee/ Seller																																		
Category of Permanent Account										Status of PAN*																								
Number or Aadhaar Number*																																		
Full Name of Transferor/ Payee/ Seller																																		
Complete Address of Transferor/Payee/Seller																																		
															PIN																			
Mobile No.										Email ID																								
Whether more than one transferor/payee/seller (Yes/No)																																		
Complete Address of Property transferred																																		
															PIN																			
Date of Agreement/Booking**										Total Value of Consideration (Amount in Rs.)										Payment in installment or lump-sum														
Whether TDS is deducted at Higher rate as per section 206AB (Yes/No)																																		
Amount Paid/Credited (in Rs.)										Date of payment/credit**										Rate at which deducted (see note 1)					Amount of tax deducted at source					Date of Deduction**				
Date of Deposit**										Mode of payment										Simultaneous e-tax payment					e-tax payment on subsequent date									
Details of Payment of Tax Deducted at Source (Amount in Rs.)																																		
TDS (Income Tax)(Credit of tax to the deductee shall be given for this amount)																																		
Interest																																		
Fee																																		
Total payment																																		
Total Payment in Words (in Rs.)																																		
Crores					Lakhs					Thousands					Hundreds					Tens					Units									
Unique Acknowledgement no.										(generated by TIN)																								

* To be updated automatically.

** In dd/mm/yyyy format.

Notes

1. Tax to be deducted at higher rates in case provisions of section 206AB is applicable.”;

(v) for Form No. 26QC, the following shall be substituted, namely:-

“FORM NO. 26QC

[See section 194-IB, rule 30(2B) and (6B) and rule 31A(4B)]

Challan-cum-statement of deduction of tax under section 194-IB

Financial Year										Major Head Code*											2	0	Minor Head Code*											8	0	0			
[Permanent Account Number or Aadhaar Number] of Tenant/lessee/Payer																																							
Full Name of Tenant/lessee/Payer*																																							
Complete Address of Tenant/lessee/Payer																																							
Mobile No.																				Email ID																			
Whether more than one Tenant/lessee/Payer (Yes/No)																																							
[Permanent Account Number or Aadhaar Number] of Landlord/Lessor/Payee																																							
Category of [Permanent Account Number or Aadhaar Number]																				Status of [Permanent Account Number or Aadhaar Number]*																			
Full Name of Landlord/Lessor/Payee																																							
Complete Address of Landlord/Lessor/Payee																																							

																				PIN																													
Mobile No.															Email ID																																		
Whether more than one Landlord/Lessor/Payee (Yes/No)																																																	
Complete Address of Property Rented																																																	
																				PIN																													
Period of Tenancy***										Total Value of Rent Paid (Amount inRs.)										Value of Rent Paid in Last Month (Amount inRs.)																													
Whether TDS is deducted at Higher rate as per section 206AB (Yes/No)																																																	
Amount Paid/Credited (in Rs.)										Date of payment/credit**										Rate at which deducted (see note 1)										Amount of tax deducted atsource										Date of Deduction**									
Date of Deposit**										Mode of payment										Simultaneous e-tax payment																													
																				e-tax payment on subsequent date																													

[illegible]

*To be updated automatically

****In dd/mm/yyyy format.**

***Against Period of tenancy, the number of months the property is rented for the financial year may be mentioned.

Notes

1. Tax to be deducted at higher rates in case provisions of section 206AB is applicable.”;

vi) for Form No. 26QD, the following Form shall be substituted, namely:—

“Form No.26QD
[See section 194M, rule 30(2C), rule 30(6C) and rule 31A (4C)]
Challan-cum-statement of deduction of tax under section 194M

Financial Year		Major Head Code*Minor Head Code*		
Permanent Account Number (PAN) Or Aadhaar No. of Deductor				
Full Name of Deductor*				
Complete Address of Deductor				
				PIN
Mobile No.			Email ID	
Permanent Account Number (PAN) Or Aadhaar Number of Deductee				
Category of PAN*		Status of PAN*		
Full Name of Deductee				
Complete Address of Deductee				
				PIN
Mobile No.			Email ID	
Nature of payment (work in pursuance of a contract/commission/brokerage or fees for professional services)				
Date of Contract/Agreement**		Aggregate of payments/credit during the period from 1 st April to the end of the month in which the payment has been made/credited.		

Is it a case of non-deduction/Lower deduction on account of certificate under section 197? (Please Tick Yes/No)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Yes No	Number of the certificate under section 197 issued by the Assessing Officer for non-deduction or lower deduction.	
Whether TDS is deducted at Higher rate as per section 206AB (Yes/No)				
Amount Paid/Credited (in Rs.)	Date of payment/credit**	Rate at which Deducted (see note 1)	Amount of tax deducted at source	Date of Deduction**
Date of Deposit**		Mode of payment	Simultaneous e-tax payment	
e-tax payment on subsequent date				
Details of Payment of Tax Deducted at Source (Amount in Rs.) TDS (Income Tax)(Credit of tax to the deductee shall be given for this amount) Interest Fee Total payment Total payment in Words (in Rs.)				
Crores	Lakhs	Thousands	Hundereds	Tens

* To be updated automatically

* ** In dd/mm/yyyy format.

Notes

1. Tax to be deducted at higher rates in case provisions of section 206AB is applicable.”.

[Notification No. 99 /2021/F. No. 370142/11/2021-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March,1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 604 (E) dated 31.08.2021